न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2019

अपीलांट

जोधाराम पुत्र दलारामजी जाति मेघवाल निवासी बासन चौहान हाल गोपाल गोवर्द्धन गौशाला, पथमेडा तहसील सांचौर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेवदर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

श्री रघुनाथसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05-08-2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक आवेदन हाल खातेदार भूमि जो कि ग्राम वडवज के खसरा नंबर 293 कुल रकबा 14.18 बीघा में से 6.3 बीघा भूमि संस्थागत(विघालय भवन) प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाने हेतु जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त रूपांतरण आवेदन के संबध में भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता नहीं होने के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने हेतु ग्राम हिम्मतपुरा के खसरा नंबर 1 व 520 में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन पर उपखंड अधिकारी रेवदर व तहसीलदार रेवदर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर उपखंड अधिकारी रेवदर द्वारा दिनांक 01.08.2014, 10.10.2014 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

19.10.2014 एवं तहसीलदार रेवदर द्वारा दिनांक 1.10.2014, 27.08.2014 व 3.3.2014 को तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुशंषा सहित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही संबधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी संलग्न किये गये। खसरा नंबर 520 की किस्म गैरमुमकिन गोचर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा अपीलांट को गैरमुमकिन गोचर में से रास्ते में उपयोग में ली जाने वाली 8 बिस्वा भूमि के बदले अपीलांट की खातेदारी की 8 बिस्वा भूमि को समर्पण करने और खसरा संख्या 1 में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की कीमत अपीलांट द्वारा अदा किये जाने का निर्देश दिया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 30.12.2015 को पत्र के साथ सहमति पत्र एवं संबधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3 में से 8 बिस्वा भूमि को सरेण्डर करने हेतु सहमति पत्र पेश किया। अपीलांट द्वारा सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राशि जमा करवाने के संबध में दिनांक 20.07.2016 को पत्र प्रेषित किया, जिस पर अपीलांट ने पत्र दिनांक 02.08.2016 द्वारा खसरा नंबर 1 में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से राशि रूपये17550/– जरिये चालान जमा करवाये, इसी प्रकार से गोचर के बदले स्वंय व खातेदारी भूमि को समर्पित अर्थात सरेण्डर कर दी और सिवायचक भूमि में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से राशि राजकोष में अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई, जिसकी पालना में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 8 बिस्वा भूमि गोचर दर्ज कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशो की पूर्ण रूप से पालना कर दी गई एवं केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता अंकन करने के संबध मे आदेश पारित किया जाना शेष था, इसके अलावा संपूर्ण कार्यवाही हो चुकी थी। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही हाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन प्रकरण को तुरंत निस्तारित करने के संबध में दिनांक 30.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण केवल मात्र प्रस्तावित भूमि की किस्म गोचर होना बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि उक्त तथ्य पहले से ही रेकर्ड पर थे, एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को स्वंय की खातेदारी भूमि गोचर के बदले सरेण्डर किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसकी पालना अपीलांट द्वारा पूर्व में की जा चुकी थी, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त गोचर भूमि में रास्ता दिये जाने बाबत कही भी प्रतिबंध नहीं है। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो अनुसार गोचर की भूमि में रास्ता दिये जाने पर उतनी भूमि खातेदारी की गोचर में दर्ज किया जाना आवश्यक माना गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करीब 5 वर्ष आवेदन को लंबित रखने के पश्चात बिना अपीलांट को सूचित किये, सुनवाई का अवसर दिये जैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक आवेदन हाल खातेदार भूमि जो कि ग्राम वडवज के खसरा नंबर 293 कुल रकबा 14.18 बीघा में से 6.3 बीघा भूमि संस्थागत(विधालय भवन) प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाने हेतु जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त रूपांतरण आवेदन के संबध में भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता नहीं होने के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने हेतु ग्राम हिम्मतपुरा के खसरा नंबर 1 व 520 में से होते हुए खसरा संख्या 519 गैरमुमकिन रास्ता दिलाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने गोचर भूमि से रास्ता चाहा है जो कि कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। कि अपीलांट ने एक आवेदन हाल खातेदार भूमि जो कि ग्राम वडवज के खसरा नंबर 293 कुल रकबा 14.18 बीघा में से 6.3 बीघा भूमि संस्थागत(विधालय भवन) प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाने हेतु जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त रूपांतरण आवेदन के संबध में भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता नहीं होने के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने हेतु ग्राम हिम्मतपुरा के खसरा नंबर 1 व 520 में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन पर उपखंड अधिकारी रेवदर व तहसीलदार रेवदर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर उपखंड अधिकारी रेवदर द्वारा दिनांक 01.08.2014, 10.10.2014 व 19.10.2014 एवं तहसीलदार रेवदर द्वारा दिनांक 1.10.2014, 27.08.2014 व 3.3.2014 को तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुशंषा सहित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही संबधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी संलग्न किये गये। खसरा नंबर 520 की किस्म गैरमुमकिन गोचर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा अपीलांट को गैरमुमकिन गोचर में से रास्ते में उपयोग में ली जाने वाली 8 बिस्वा भूमि के बदले अपीलांट की खातेदारी की 8 बिस्वा भूमि को समर्पण करने और खसरा संख्या 1 में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की कीमत अपीलांट द्वारा अदा किये जाने का निर्देश दिया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 30.12.2015 को पत्र के साथ सहमति पत्र एवं संबधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3 में से 8 बिस्वा भूमि को सरेण्डर करने हेतु सहमति पत्र पेश किया। अपीलांट द्वारा सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राशि जमा करवाने के संबध में दिनांक 20.07.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2016 को पत्र प्रेषित किया, जिस पर अपीलांट ने पत्र दिनांक 02.08.2016 द्वारा खसरा नंबर 1 में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से राशि रूपये17550/– जरिये चालान जमा करवाये, इसी प्रकार से गोचर के बदले स्वंय व खातेदारी भूमि को समर्पित अर्थात सरेण्डर कर दी और सिवायचक भूमि में से ली जाने वाली 15 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी दर से राशि राजकोष में अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई, जिसकी पालना में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 8 बिस्वा भूमि गोचर दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही होने के पश्चात बिना विधिक कारणो का हवाला देते हुए एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा प.12(3)(30)राज/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 अपास्त किया जाकर इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली